

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर)

क्रमांक / आब. / स्था.(अराज.) / 2025 / 1188

नवा रायपुर, दिनांक 11./03/2025

प्रति,

नियंत्रक,

छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल,
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19
नवा रायपुर अटल नगर

विषय :— आबकारी आरक्षक भर्ती के संबंध में।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक/व्यापम/परीक्षा एफ-20/2025/316, रायपुर
दिनांक 06.02.2025।

--000--

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से आबकारी आरक्षक भर्ती हेतु संक्षिप्त विज्ञापन की
प्रति एवं व्यापम वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ हस्ताक्षरित विस्तृत विज्ञापन
(संशोधित सहित) की प्रति आपके कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है।

लेखानुसार संक्षिप्त विज्ञापन एवं हस्ताक्षरित विस्तृत विज्ञापन (संशोधित
सहित) का प्रारूप तैयार कर आगामी कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

(आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :— उपरोक्तानुसार


अपर आयुक्त आबकारी
छत्तीसगढ़

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

(प्रथम तल, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर)

ई-मेल—excise.comm.cg@gov.in फोन नं. 0771-2512612 वेब साईट— <https://excise.cg.nic.in>

क्रमांक / आब. / स्था(अराज.) / 2025 / 1177

नवा रायपुर, दिनांक 16/03/2025

// संक्षिप्त विज्ञापन //

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश पृ.क्र. एफ 6-21/2024/वा.क.(आब.)/पाँच नवा रायपुर दिनांक 14.08.2024 द्वारा आबकारी विभाग के अंतर्गत आबकारी आरक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को परीक्षा एजेंसी निर्धारित किया गया है। उक्त पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2018 एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं/परिपत्रों में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी, इस हेतु समस्त पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाईट—<https://vyapamcg.cgstate.gov.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं।

पदनामः— छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) — आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा, 2025

रिक्त पदों का विवरण

क्र.	पद का नाम	वर्गीकरण	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से दिव्यांग जन के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
			अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ.पि. व. (गैर क्रीमी लेयर)	अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ.पि. व. (गैर क्रीमी लेयर)	अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ.पि. व. (गैर क्रीमी लेयर)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	आबकारी आरक्षक	तृतीय श्रेणी	84	24	64	28	25	7	19	8	8	2	6	2	0	200	वेतन मेट्रिक्स लेवल-4 (5200—20200 +1900)

टीप :-

1. छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-21/2014/सक/26 दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार आवेदित पद के लिये निःशक्तता अमान्य की गई है। अतः निःशक्त (दिव्यांग) आवेदक आबकारी आरक्षक पद के लिये आयोजित परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
2. विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
3. विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाईन आवेदन, परीक्षा की तिथि, समय एवं केन्द्र तथा अन्य जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाईट—<https://vyapamcg.cgstate.gov.in> पर उपलब्ध है।
4. उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली चयन प्रक्रियायें माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

[Signature]
अपर अम्युक्त आबकारी
छत्तीसगढ़

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

(प्रथम तल, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर)
ई-मेल—excise.comm.cg@gov.in फोन नं. 0771-2512612 वेब साईट—<https://excise.cg.nic.in>

क्रमांक / आब./ स्था(अराज.) / 2025 / 1176

नवा रायपुर, दिनांक 10/03/2025

// विस्तृत विज्ञापन //

- छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश पृ.क्र. एफ 6-21/2024/वा.क.(आब.)/पाँच नवा रायपुर दिनांक 14. 08.2024 द्वारा आबकारी विभाग के अंतर्गत आबकारी आरक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को परीक्षा एजेंसी निर्धारित किया गया है। उक्त पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2018 एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं/परिपत्रों में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी, इस हेतु समस्त पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाईट—<https://vyapamcg.cgstate.gov.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं।
- रिक्त पदों की वर्गवार संख्या एवं वेतनमान का विवरण।

रिक्त पदों का विवरण

क्र.	पद का नाम	वर्गीकरण	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
			अ. ना.	अ. जा.	अ. ज.	अ.पि. व. (गैर क्रीमी लेयर)	अ. ना.	अ. जा.	अ. ज.	अ.पि. व. (गैर क्रीमी लेयर)	अ. ना.	अ. जा.	अ. ज.	अ.पि. व. (गैर क्रीमी लेयर)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	आबकारी आरक्षक	तृतीय श्रेणी	84	24	64	28	25	7	19	8	8	2	6	2	0	200	वेतन मेट्रिक्स लेवल-4 (5200-20200 +1900)

3. पात्रता संबंधी शर्तें :-

प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो निम्नांकित अर्हताएं रखते हों, अर्थात् :-

- (I) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताये :- किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण हो।
 (II) शारीरिक अर्हताये :- आवेदक जो निम्नलिखित शारीरिक योग्यता पूर्ण करते हों :-

मापदण्ड	पुरुष कर्मचारियों के लिये	महिला कर्मचारियों के लिये
ऊँचाई	167.5 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊँचाई 165 सेमी.	152.4 (सेमी.)
सीना	81 सेमी. (सामान्य स्थिति में) 86 सेमी. (फुलाने पर)	-

4. आयु सीमा :-

- (क) आवेदक ने 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली हो किन्तु अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक न हो। परन्तु यह कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी।
- (ख) ऊपर विहित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकेगी।
- (1) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी :—
 - (2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
 - (3) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :—
 - (i) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;
 - (ii) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;
 - (iii) ऐसा अभ्यर्थी, जो “छंटनी किया गया शासकीय सेवक” हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द छंटनी किये गये शासकीय सेवक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो;

- (ग) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, यह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द भूतपूर्व सैनिक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की



कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गयी हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो। अर्थातः—

- (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें—
(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
(ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;
- (तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;
- (चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो। (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);
- (पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (छ:) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो,
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (घ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सर्वर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ङ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाघूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (च) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मण्डल के कर्मचारी हैं। उच्चतर आयु सीमा, 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ज) अभ्यर्थियों, जिन्हें उनके प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत, अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (झ) उपरोक्त के अलावा आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप- (1) ऐसे अभ्यर्थी, (जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हो) जिन्हें उपरोक्त बिन्दु 4 के खण्ड (ख) के उप खण्ड (3) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(महत्वपूर्ण टीप :- सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु की पुष्टि मूल अभिलेखों से परीक्षण के दौरान 10 वीं की मार्कशीट द्वारा की जावेगी। यदि आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया गया तो उम्मीदवारी निरस्त मानी जायेगी।)

5. निरहता:-

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरहता माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो. किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है. तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये।

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जाँच जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

उपरोक्त नियम के परिपेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अद्योपतन की



श्रेणी में आने वाले अपराध—भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 354, 376, 376(क), 376(ख), 376(ग), 376(घ), 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज हो उन्हे शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जावे। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर दिनांक 11.09.2023)

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा—

(i) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(ii) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा नियुक्ति प्राधिकारी को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

6. नियम शर्तें एवं प्रक्रियाएं

- (6.1) उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित की जायेगी।
- (6.2) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
- (6.3) चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापन उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।
- (6.4) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी की वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं को पूर्ण करता है।
- (6.5) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यलयों में कार्यरत कर्मचारियों की चयन की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (6.6) यदि आवेदक द्वारा नकली अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर अथवा मिथ्या घोषणा पत्र भरकर, परीक्षा में शामिल होने का प्रयास किया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- (6.7) परीक्षार्थी को अपने मुख्यालय से परीक्षा केन्द्र तक आने तथा वापसी हेतु कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- (6.8) परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। परीक्षार्थियों को रोल नं. आवंटित किया जावेगा। परीक्षार्थियों को कहीं भी प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका में अपना नाम पदनाम लिखना पूर्णतः वर्जित रहेगा, केवल आवंटित रोल नं. लिखना आवश्यक होगा।
- (6.9) परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक गैजेट्स का प्रयोग वर्जित रहेगा।

- (6.10) आवेदकों को परीक्षा केन्द्र में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना होगा, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- (6.11) परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र में केन्द्र अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का सभी आवेदक पालन करेंगे। यदि किसी आवेदक द्वारा अवहेलना किये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो, उसे चयन हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।
- (6.12) यदि किसी आवेदक द्वारा परीक्षा के दौरान नकल करने अथवा अन्य अवैधानिक—अनुचित तरीके से परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रयास करने का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है, तो संबंधित आवेदक को तत्काल परीक्षा केन्द्र से बाहर निकाल दिया जावेगा, और उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी।

7. परीक्षा आयोजन हेतु क्रार्यक्रम—

1. परीक्षा पद्धति –

- (1) लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा।
- (2) प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
- (3) प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा।
- (4) सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे।
- (5) लिखित परीक्षा की कुल अवधि 02:00 घंटे की होगी।
- (6) समस्त प्रश्न हायर सेकेण्डरी (10+2) स्तर के पूछे जायेंगे।

2. मूल्यांकन पद्धति— प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 01 अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (−) छ्रणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर होने पर $1/4$ अंक काटा जायेगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (Zero) अंक प्रदान किये जायेंगे।

3. परीक्षा पाठ्यक्रम –

(क) सामान्य अध्ययन – (33 अंक / 33 प्रश्न)

1. भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन।
2. भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल।
3. भारत का संविधान एवं राज व्यवस्था।
4. भारत की अर्थव्यवस्था।
5. सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
6. भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति।
7. समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद।

(ख) छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान – (33 अंक / 33 प्रश्न)

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जणगणना, पुरातात्त्विक एवं पर्यटन केन्द्र।
3. छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं

(ग) प्रारंभिक अंक गणित— (07 अंक / 07 प्रश्न)

(घ) सामान्य हिन्दी – व्याकरण के संदर्भ में (07 अंक / 07 प्रश्न)

- (ङ.) छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान—
(च) तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता—
(छ) सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान –

(07 अंक / 07 प्रश्न)
(07 अंक / 07 प्रश्न)
(06 अंक / 06 प्रश्न)

8. महत्वपूर्ण टीप :-

- (i) छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-21/2014/सक/26 दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार आवेदित पद के लिए निःशक्तता अमान्य की गई है। अतः निःशक्त (दिव्यांग) आवेदक आबकारी आरक्षक पद के लिए आयोजित परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (ii) विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- (iii) विस्तृत विज्ञापन पाठ्यक्रम, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाईन आवेदन, परीक्षा की तिथि, समय एवं केन्द्र तथा अन्य जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट – <https://vyapamcg.cgstate.gov.in> पर उपलब्ध है।
- (iv) उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली चयन प्रक्रियाये माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
- (v) विज्ञापित पदों पर भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकेगी, इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
- (vi) आरक्षण का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि) स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगी।
- (vii) पंजीकृत डॉक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।
9. विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):—
इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार नियुक्त प्राधिकारी का रहेगा किसी भी विवाद/शिकायत/आपत्ति पर नियुक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।
10. परीक्षा निर्देश :—व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा संबंधी विस्तृत निर्देश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट— <https://vyapamcg.cgstate.gov.in> पर उपलब्ध है।


आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर